120

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक,
श्री गुरू रामराय जूनियर हाई स्कूल,सुहागपुर,ब्लाक–अल्हैपुर
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 7891-97 / 2007–08 दिनांक 15-1-2008

विषयः-- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 217 / 15–6–92–18–एस(7) / 89 दिनांक 11–5–92 एवं शासनादेश सं0 2681 / 15–6–95–18 एस(7) / 89 दिनांक 18–1–1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद के पत्रांकःबे0शि0प0 / सामान्य–5 / 21716–22019 / 96–97 दिनांक 10–2–97 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा–6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:–

1–प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
2–विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी,प्राईमरी,कक्षा–9,10 आदि का संचालन न किया जाय।
3–विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
4–विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
5–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
6–विद्यालय में विभाग / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
7–विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
8–विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकायें ही नियुक्त किये जायें।
9–विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
10–यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नही होगा।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगें:–

प्रधानाध्यापक–	एक पद
सहायक अध्यापक–	चार पद
लिपिक–	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा / प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जाये।शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय का होगा।

भवदीय

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पृ0सं0 / बेसिक / / 2007–08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
2–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद।
3–जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।
4–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

M.C. Pokhriyal
(Principal)
Shri Guru Ram Rai Public School PRINCIPAL
Suhagpur, Dhampur (Bijnor) U.P.
Aff. No-2132041, School No-81808

G. S. RANA
Authorised Signatory
Manager, SGRR Education